हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

22वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 02.03.1996

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की बैठक दिनाँक 2 मार्च, 1996 में भाग लेने वाले अधिकारियों की उपस्थिति।

क्र0सं0	नाम अधिकारी	पदनाम	उपस्थिति ह0
1-	श्री एच0एल0विरदी	अध्यक्ष/आयुक्त	[signature]
2-	श्री सुधाकर सिंह,	उपाध्यक्ष	[signature] 2/3/96
3-	श्री पी०एन० वर्मा	अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० वि० (हरिद्वार)	
4-	एम० पी० अनेजा	वरिष्ठ नियोजक न० एवं ग्रा० नि० विभाग लखनऊ	[signature] 2-3-96
5-	एम० आर० वर्मा	विशेष कार्याधिकारी, आवास	[signature]
6-	एन. एन. थपलियाल	संयुक्त निदेशक, कोषागार मेरठ	[signature]
7-	राजकुमार अरोड़ा	अध्यक्ष नगरपालिका परिषद हरिद्वार	[signature]
8-			
9-			
10-			
11-			
12-			
13-			

विषय सूची

मद सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	विगत बैठक दिनॉक 6-10-95 की कार्यवृत का अनुमोदन	1 से 3
2-	विगत बैठक दिनॉक 6-10-95 में लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन	4 से 6
3-	बजट वर्ष 1995-96 का वास्तविक आय-व्यय एंव प्रस्तावित बजट वर्ष, 1996-97	7
4-	हरिद्वार विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र ऋषिकेश में विवादास्पद खसरा नम्बर, 74, 84, 276, 279 एंव 298 पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	8 से 9
5-	वित्लेश्वर मन्दिर से गौरी कुण्ड तक सी0सी0 सडक में हुए विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	10
6-	लायन्स क्लब गोविन्दपुरी द्वारा नेत्र चिकित्सालय के मानचित्र संख्या-174/94 में विकास शुल्क में छूट विषयक।	11
7-	दिल्ली हरिद्वार बाई पास समीप यादव धर्मशाला के खसरा नम्बर, 185 से 190 तथा ज्वालापुर हरिद्वार रोड समीप सरप्राइज होटल खसरा नम्बर 689, 694, 695 के भू-उपयोग के सम्बन्ध में।	12
8-	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-	

मद संख्या-1, विगत बैठक दिनांक 6-10-95 की कार्यवृत्त का अनुमोदन

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 21 वीं बैठक प्रारम्भ करते हुए सचिव/उपाध्यक्ष ने मा0 अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया। उपाध्यक्ष ने बैठक के विचाराधीन/प्रस्तावित विषयों की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त रूपरेखा प्राधिकरण के समक्ष रखी। गत बैठक दिनांक 2-3-95 के निर्णयों/क्रियान्वयन की पुष्टि की गयी। सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिए गये-

अ- हरिद्वार महायोजना की विसंगतियों के सम्बन्ध में विचार।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया है कि गत बैठक के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। निर्णय लिया गया कि विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाय।

ब- अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शमन उपविधि, 1994 के अनुमोदन के सम्बन्ध में विचार।

विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया।

मद संख्या-2,

प्राधिकरण का बजट वर्ष, 1994-95 एवं वर्ष 95-96 का प्रस्तावित बजट अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण के बजट वर्ष, 1995-96 में कुल आय रुपये 429.25 लाख, प्रस्तावित कुल व्यय 366.53 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया। भविष्य के लिए यह निर्देश दिए गये कि तरफुलेशन विधि से आंशिक बजट ही स्वीकृत कराया जाय तथा पूर्ण बजट प्राधिकरण के समक्ष ही अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या-3,

ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के सम्बन्ध में विचार।

प्रस्तावित प्रकरण पर विचार विमर्श हुआ। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री एस0पी0 अरोड़ा, वरिष्ठ नियोजक द्वारा महायोजना की प्रगति से प्राधिकरण को अवगत कराया। मुख्य समस्या वन विभाग की भूमि के सीमांकन के सम्बन्ध में प्रकट की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श उपरान्त यह निर्देश दिए गये कि 16.10.95 को विभाग के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश में बैठक करा ली जाय, तत्पश्चात् महायोजना तैयार करने के पश्चात बोर्ड बैठक के समक्ष रखा जाय।

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण

---2

मद संख्या-4

हर की पैड़ी जनानाघाट सुलभ शौचालय के पास स्थित भूखण्ड पर मन्दिर निर्माण की स्वीकृति के संबंध में विचार।

प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुयी। प्रश्नगत स्थल हर की पैड़ी के समीप स्थित है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। प्राधिकरण की भवन उपविधियों में हर की पैड़ी के 200 मीटर के क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है। यह भवन उपविधियाँ अनुमोदन हेतु शासन स्तर पर लम्बित है। इस संबंध में एक वाद मा0 न्यायालय, हरिद्वार में भी विचाराधीन है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि मामला मार्ग-दर्शन हेतु पूर्ण विवरण सहित शासन को संदर्भित कर दिया जाय तथा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-5

मानचित्र संख्या-148/95 मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के खसरा नम्बर-257 ग्राम मनोहरपुर ज्वालापुर में पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति पर विचार।

प्रकरण पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श हुआ। उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि श्री एम0पी0 अरोड़ा द्वारा यह कहा गया कि महायोजना की दृष्टि से भी इस प्रकरण का परीक्षण कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि आवेदक के संबंध में जिलाधिकारी हरिद्वार से भी जांच करा ली जाय। तद्नुसार सम्पूर्ण विवरण सहित मामला अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

मद संख्या-6

देवपुरा नगरपालिका भूमि पर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर बनाने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी। निर्देश दिये गये कि डिमाण्ड सेंक्शन भी किया जाए तथा भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात महायोजना में भू-उपयोग बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। निर्माण/विकास कार्य विभिन्न चरणों में महायोजना के भू-उपयोग के अनुरूप ही किया जाय। प्रकरण एजेण्डा से सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

मद संख्या-7

बिल्डिंग सेन्टर/आवासीय योजना हेतु ग्रामसभा की भूमि प्राप्त करने के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। निर्देश दिये गये कि ग्राम सभा में भूमि की उपलब्धता भी देख ली जाय। ग्राम ज्वालापुर में सिर्फ 10 हेक्टेयर भूमि ही प्राप्त की जाय। लगभग 2 हैक्टेयर भूमि ग्रामीणों के लिये छोड़ी जाय। भूमि का कब्जा प्राप्त होने के पश्चात ही महायोजना में भू-उपयोग बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। शासन की स्वीकृति के पश्चात महायोजना में भू-उपयोग के अनुरूप ही निर्माण/विकास कार्य कराया जाय। सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

मद संख्या-8

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से- विरक्त कुटिया सप्तसरोवर के अनधिकृत वाद संख्या-106/94 में लगाये गये शमन शुल्क के संबंध में विचार।

विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ब्याज की धनराशि माफ कर दी जाय तथा कुल शमन धनराशि का देय अवशेष रूपये 35,000/- रूपये 1100/- प्रति माह की किश्तों में वसूल कर लिया जाय। यदि भविष्य में शासन से नयी शमन उपविधि प्राप्त होती है तो उसका लाभ विपक्षी को दिया जायेगा। सर्वसम्मति से प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

13/1/95	13/1/95	
(योगेन्द्र कुमार बहल)	(सुधाकर सिंह)	(एच०एल० विरदी)
सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष/आयुक्त

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवामें,

1- विशेष सचिव,आवास,उ0प्र0 शासन लखनऊ (प्रमुख सचिव आवास के नामित सदस्य)
2- श्री एन0एन0 थपलियाल,संयुक्त निदेशक,कोषागार,मेरठ (प्रमुख सचिव,वित्त विभाग के नामित सदस्य)
3- सचिव,उत्तरांचल विकास विभाग,उ0प्र0 शासन,लखनऊ।
4- मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक,नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग,7 बन्दरिया बाग,उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी,हरिद्वार।
6- जिलाधिकारी देहरादून।
7- अध्यक्ष,नगरपालिका परिषद,हरिद्वार।
8- प्रभारी अधिकारी,नोटिफाइड एरिया मुनि की रेती,ऋषिकेश।
9- प्रभारी अधिकारी,नगरपालिका परिषद,ऋषिकेश।
10-अधीक्षण अभियन्ता,लो0नि0वि0,32 वॉ वृत्त सहारनपुर (प्रमुख अभियन्ता,लो0नि0वि0 लखनऊ के नामित सदस्य)
11-अधीक्षण अभियन्ता,प्रकल्प मण्डल,जल निगम,रूडकी (प्रबन्ध निदेशक,जल निगम,लखनऊ के नामित सदस्य)

संख्या- /प्रशा0-2 (ग)-1-6/96 दिनॉक मार्च,1996
विषय- हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार की 22 वीं बैठक दिनॉक 2-3-96 को कार्यवाही का प्रेषण।
महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार की 22 वीं बैठक दिनॉक 2-3-96 को आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके सभाकक्ष मेरठ में पूर्वान्ह 11-00 बजे सम्पन्न हुई थी। बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुधाकर सिंह)
उपाध्यक्ष

मद संख्या-2 21 वीं बैठक दिनांक 6-10-95 में लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन-

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 6-10-95 को सम्पन्न हुई थी। बैठक की कार्यवाही सभी मा0सदस्यों/पदाधिकारियों को, प्रेषित की गयी। किसी भी पदाधिकारी/सदस्य द्वारा कोई आपत्ति /सुझाव प्रेषित नहीं किया है। लिए गये निर्णयों का क्रियान्वयन निम्न प्रकार है-

क्रं0सं0	विषय	अनुपालन
1-	हरिद्वार महायोजना की विसंगतियों के सम्बन्ध में।	महायोजना के सम्भावित विसंगति क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से दिनांक 27-2-96 को एक बैठक विचार विमर्श हेतु आयोजित की गयी है। तत्पश्चात प्राधिकरण की पूर्व बैठक के निर्णयानुसार कार्यवाही सम्पन्न करके प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2-	अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शामन उपविधि,94 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
3-	प्राधिकरण का बजट वर्ष,1994-95 एंव वर्ष 95-96 का प्रस्तावित बजट अनुमोदन संबंधी	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदत बजट,95-96 के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
4-	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के सम्बन्ध में विचार।	निर्णय के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों एंव सहयुक्त नियोजक मेरठ के साथ दिनांक- 16-10-95 को ऋषिकेश में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वन विभाग द्वारा समस्त वान्छित सूचनायें शीघ्र ही उपलब्ध करायेगें। वन विभाग द्वारा कुछ सूचनायें भी प्रेषित की है। इस सम्बन्ध में पुनः दिनांक 8-2-96 को भी बैठक की गयी।प्रगति से नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि अवगत करायेगें।

Secretary
H.D.A

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार की 22 वीं बैठक दिनॉक 2-3-96 की कार्यवाही

1- बैठक का स्थान- कार्यालय,आयुक्त,मेरठ मण्डल,मेरठ।

2- बैठक का समय- 11-00 बजे पूर्वान्ह।

उपस्थिति-

1- श्री एच0एल0विरदी,आयुक्त,मेरठ मण्डल,मेरठ	अध्यक्ष
2- श्री सुधाकरसिंह,उपाध्यक्ष,हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार	उपाध्यक्ष
3- श्री एन0आर0 वर्मा,विशेष कार्याधिकारी,आवास,उ0प्र0 शासन लखनऊ।	प्रमुखसचिव आवास के प्रतिनिधि
4- श्री एन0पी0 अनेजा,वरिष्ठ नियोजक,नगर एंव ग्राम नियोजन विभाग0उ0प्र0 लखनऊ	मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि
5- श्री एन0एन0थपलियाल,संयुक्त निदेशक,कोषागार,मेरठ	प्रमुख सचिव,वित्त के नामित सदस्य
6- श्री पी0एम0 वर्मा0 अधीक्षण अभियन्ता,लो0नि0वि0सहारनपुर	प्रमुखअभियन्ता,लो0नि0वि0के नामित सदस्य
7- श्री राज कुमार अरोडा,अध्यक्ष,नगरपालिका परिषद,हरिद्वार	सदस्य

5- हरकी पैड़ी जनानाघाट सलम शौचालय के पास स्थित भूखण्ड पर मन्दिर निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय के अनुसार विस्तृत विवरण सहीत मार्ग दर्शन हेतु प्रकरण शासन को इस कार्यालय के पत्र सं0 2359 दिनांक 31-10-95 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।शासन से कोई सूचना प्राप्त न होने पर पुनः अनुस्मारक पत्र संख्या-2678 दिनांक 7-12-95 शासन को भेजा गया । इस बीच सिंचाई विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश के पालन में मंदिर का अवैध निर्माण कर लिया गया। प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम-1973 के अधीन धारा-27/28 की कार्यवाही की गयी । जिसको माननीय न्यायालय आदेश के पालन में शासन से वांछित उत्तर प्राप्त होने तक स्थगित कर दिया गया है ।

6-मानचित्र संख्या-148/95 मै0इण्डियन ऑयल, कारपोरेशन लि0 के खसरा नम्बर,257 ग्राम मनोहरपुर,ज्वालापुर के पैट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय के अनुसार जिलाधिकारी हरिद्वार से जॉच करायी गयी। विस्तृत आख्या अध्यक्ष महोदय को इस आशय से प्रेषित की गयी कि मानचित्र स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया जाय और मानचित्र स्वीकृति पश्चात बोर्ड बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जायेगा अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन प्राप्त कर मानचित्र दिनॉक 5-12-95 को स्वीकृत कर दिया गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

7- देवपुरा नगरपालिका भूमि पर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर बनाने के सम्बन्ध में।

निर्णय के अनुसार राजस्व ग्राम मायापुर में स्थित तथा भल्ला कालेज के समीप नगरपालिका परिषद की भूमि खसरा नम्बर,516 क्षेत्रफल 13706.50 वर्ग मीटर को हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा क्रय किए जाने हेतु प्राधिकरण की ओर से नगरपालिका को विक्रय की अनुमति प्रदान करने हेतु उपसचिव,नगर विकास अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन को पत्र संख्या-2227 दिनॉक 18-10-95,पत्र संख्या 2803 दिनॉक 16-12-95 एंव 4087 दिनॉक 18-1-96 द्वारा अनुरोध किया जा चुका है।परन्तु वान्छित अनुमति नगरपालिका परिषद को अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है,जिसके अभाव में नगर पालिका से भूमि क्रय नहीं की जा सकी है।शासन से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Secretary
H. D. A

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 22वीं बैकेंड बैठक दिनांक 2-3-96 का कार्यवृत्त

बैठक प्रारम्भ करते हुए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ने मा0 अधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने बैठक के विचारार्थ/प्रस्तावित विषयों की पृष्ठभूमि की संक्षिप्त रूपरेखा प्राधिकरण के समक्ष रखी। सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिए गये-

मद संख्या-1 विगत बैठक दिनांक 6-10-95 की कार्यवृत्त का अनुमोदन-

विगत बैठक दिनांक 6-10-95 की कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-2 21वीं बैठक दिनांक 6-10-95 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन-

2(1)	हरिद्वार महायोजना की वित्तगतियों के संबंध में।	उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के साथ दिनांक 27-2-96 को बैठक की गई है। बैठक में निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जायेगा।
2(2)	अनाधिकृत निर्माण से संबंधित अपराधों के शमन हेतु संशोधित शमन उपविधि, 1994 के अनुमोदन के संबंध में।	प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में विगत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।
2(3)	प्राधिकरण का बजट 1994-95 एवं 95-96 का प्रस्तावित बजट।	वर्ष 1995-96 के बजट की कार्यवाही/अनुपालन का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।
2(4)	ऋषिकेश मुनि की रेती क्षेत्रों की महायोजना के संबंध में विचार।	विगत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार की गयी कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को निर्देश दिये गये कि शीघ्र ही ऋषिकेश की महायोजना तैयार करने का कार्य पूर्ण किया जाय। सहयुक्त नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ ने ऋषिकेश महायोजना के संबंध में उपस्थित सदस्यगण को प्रगति से अवगत कराया। जो प्रारम्भिक मानचित्र उनके द्वारा बनाया गया है, उसकी दोनों प्रतियों पर अध्यक्ष महोदय से विस्तार में चर्चा की गयी। सहयुक्त नियोजक, मेरठ को ऋषिकेश महायोजना बनाने में यह कठिनाई सामने आयी कि मुनि की रेती और श्यामपुर के बीच में बहुत सी ऐसी वन विभाग की भूमि है, जिसका प्रयोजन वानिकी न होकर अवैध भवन इत्यादि बने हुये हैं। उनकी समस्या यह थी कि महायोजना में ऐसे अवैध निर्माणों को किस प्रकार दर्शाया जाय। अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के बाद यह निर्देश दियेकि इस संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 और शासन स्तर पर एक बैठक करके समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाय तथा अगली बैठक में प्रगति से अवगत कराया जाय।

सचिव
ह0वि0प्रा0

उपाध्यक्ष
ह0वि0प्रा0

ह0वि0प्रा0

8- विल्डिंग सैन्टर/आवासीय योजना हेतु ग्रामसभा की भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

निर्णय के अनुसार ग्राम ज्वालापुर में गॉव सभा की केवल 10 हैक्टेयर भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु संशोधित प्रस्ताव जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र दिनॉक 27-11-95 भेजा जा चुका है। ग्राम ज्वालापुर में गॉव सभा की 10 हैक्टेयर भूमि के पुनर्ग्रहण किए जाने हेतु भूमि प्रबन्धक,समिति द्वारा दिनॉक 10-1-96 को सर्व सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर विचाराधीन है। भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त होने के बाद निर्णय के अनुसार भू-उपयोग बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा। शासन से स्वीकृति पश्चात तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। विल्डिंग सैन्टर की योजना हडको को प्रेषित की जा चुकी है।

9- विरक्त कुटिया सप्तसरोवर के अनाधिकृत वाद संख्या-106/94 में लगाये गये शासन शुल्क को माफ करने सम्बन्धी।

निर्णय के अनुसार 1100/-प्रति माह किश्तों में धनराशि जमा करायी जा रही है।

Secretary
H D A

2(5) हरकी पैडी जनानाघाट सुलभ शौचालय के पास स्थित भूखण्ड पर मन्दिर निर्माण के सम्बन्धमें।	प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया और विचारोपरान्त सर्वसम्मकिति से निर्णय लिया गया कि शासन का उत्तर प्राप्त होने तक मामला स्थगित रखा जाय।शासन का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाय।
2(6) मानचित्र संख्या-148/95 मे0इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के खसरा नम्बर,257ग्राम मनोहरपुर,ज्वालापुर के पैट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन की स्वीकृति पर विचार।	प्रकरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।
2(7) देवपुरा नगरपालिका भूमि पर डिस्ट्रिक्ट सैन्टर बनाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिए गये कि शासन को अनुस्मारक भेजकर भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त की जाय तथा भू-उपयोग के अनुसार ही निर्माण/विकास कार्य किए जाँय। प्रकरण एजेण्डा से सर्वसम्मति से समाप्त किया गया।
2(8) बिल्डिंग सैन्टर/आवासीय योजना हेतु भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी स्तर पर लम्बित कार्यवाही पूर्ण कराकर भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त किया जाये तथा विगत बैठक दिनाँक 6-10-95 में लिए गये निर्णय के अनुसार भू-उपयोग बदलने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय और शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर बिल्डिंग सैन्टर की स्थापना का कार्य पूर्ण कराया जाय। तब तक प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।
2(9) विरक्त कुटिया,सप्तसरोवर के अनाधिकृत वाद संख्या-106/94 में लगाये गये शमन शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में।	विगत बैठक में दिनाँक 6-10-95 में लिए गये निर्णय के अनुसार रुपये,1100/-प्रति माह किश्तों में धनराशि जमा करायी जा रही है। अनुमोदन को सर्वसम्मकिति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा से समाप्त किया गया।

उपाध्यक्ष
ह०वि०प्रा०

सचिव
ह०वि०प्रा०

मद संख्या-3

विषय: वर्ष 1996-97 का प्रस्तावित बजट

3.1 वर्ष 1995-96 के बजट में आय रू0 429.00 लाख तथा व्यय रू0 366.53 लाख अनुमोदित था। इस वर्ष शमन शुल्क मद के अन्तर्गत रू0 20.00 लाख का प्रस्ताव था, जिसके विपरीत जनवरी,96 तक रू0 23.56 लाख प्राप्त हुई जो कि 118% है तथा विकास शुल्क के मद में रू0 30.00 लाख के प्रस्ताव के विरूद्ध माह जनवरी,96 तक रू0 30.13 लाख प्राप्त हुई, जोकि 100% है। इसके अतिरिक्त हरिलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत जनवरी,96 तक शतप्रतिशत आय प्राप्त हुई।

3.2 राजस्व व्यय में बुक प्रिंटिंग मद में रू0 5.18 लाख का बजट स्वीकृत था। मैसर्स अजन्ता ऑफसेटस द्वारा भुगतान न होने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में रिकवरी सूट दायर किया है, उसी के क्रम में सम्बन्धित फर्म से राजीनामा कर लम्बित बिलों का भुगतान रू0 7.77 लाख किया गया ।

3.3 पूंजीगत व्यय में कार/जीप/उपकरण/भवन मद के अन्तर्गत रू0 3.00 लाख का प्रस्ताव था। बोर्ड की बैठक की स्वीकृति के अनुरूप कम्प्यूटर की महत्वता को देखते हुए कम्प्यूटर क्रय किया गया। जिसके कारण जनवरी,96 तक रू0 3.31 लाख व्यय हुआ, जोकि बजट से 0.31 लाख अधिक है। कृपया अधिक व्यय को अन्य मदों में हुई बचत से पूर्ति कर लिया गया है ।

3.4 वर्ष 1996-97 की प्रस्तावित बजट में विभिन्न मदों में आय रू0 475.30 लाख तथा व्यय रू0 458.10 लाख प्रस्तावित है ।

3.5 उपरोक्त प्रस्तर 3.1 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत तथा प्रस्तर 3.2, 3.3, 3.4 अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(विस्तृत बजट का कम्प्यूटर प्रिंट परिशिष्ट के रूप में संलग्न है)

Secretary
H.D.A

मद संख्या- 4

विषय- हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार के विकास क्षेत्र ऋषिकेश में विवादास्पद खसरा नम्बर,74,84,276,279 एंव 298 पर मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में विचार।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण,हरिद्वार के अन्तर्गत ऋषिकेश में स्थित राजस्व ग्राम में मानचित्र स्वीकृत किए जाने का कार्य किया जाता रहा है। इस राजस्व ग्राम में खसरा नम्बर,74,84,276,279 एंव 298 भी सम्मिलित हैं। इन खसरा नम्बरों में निम्न प्रकार प्रदर्शित क्षेत्रफल पर भूमि का स्वरूप परिवर्तित न करने,किसी भी प्रकार का निर्माण न करने एंव भूमि को किसीप्रकार से हस्तान्तरण करने पर सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणीदेहरादून द्वारा दिनाँक 4-5-92 को रोक लगायी गयी थी।

क्र0सं0	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल	न्यायालय आदेशानुसार क्षेत्रफल
1-	74	450.82 एकड	63.44 एकड
2-	84	1.84 एकड	1.84 एकड
3-	276	322.02 एकड	57.90 एकड
4-	279	254.58 एकड	193.00 एकड
5-	298	57.96 एकड	20.00 एकड

उपर्युक्त न्यायालय के आदेश से प्रभावित खसरा नम्बरों में दिनाँक 1-3-95 से पूर्व मानचित्र स्वीकृत किए जाते रहे हैं। किन्तु इस तिथि के
पश्चात यह तथ्य प्रकाश में आने के कारण मानचित्र स्वीकृत किए जाने का कार्य लगभग समाप्त कर दिया गया है। इस विवादित भूमि पर
आवेदकों द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस कारण उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी
देहरादून को मानचित्र स्वीकृति पर अनापत्ति प्रदान करने हेतु पत्र लिखे जातेरहें हैं। इस क्रम में उपजिलाधिकारी देहरादून ने अपने पत्र संख्या-
2027 दिनाँक 25-5-95 के द्वारा सूचित किया है कि इन खसरा नम्बरों में धारा 229 बी0 के तहत विभिन्न सक्षम न्यायालयों में वाद
विचाराधीन हैं।अतः वाद के विचाराधीन रहते अनापत्ति दिया जाना सम्भव नहीं होगा। इस प्रकार मानचित्रों को स्वीकृत किए जाने का कार्य
अनापत्ति न मिलने के कारण स्थगित कर दिया गया है। इस कृत्य से ऋषिकेश की जनता को काफी कठिनाईयाँ हो रही हैं,और उनके प्रत्यावेदन
भी प्राप्त हुए हैं। उनका कथन है कि प्राधिकरण को मानचित्र अपनी भवन उपविधियों के अधीन स्वीकृत करना चाहिए और इन सन्दर्भित खसरा

Secretary
H.D.A.

नम्बरों में प्रत्येक मानचित्र पर उपजिलाधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। जबकि राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में भी भूमि हस्तान्तरण कर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जा रही है। उपर्युक्त विषम समस्या पर जिला शासकीय अधिवक्ता देहरादून की राय माँगी गयी। श्री यशपालसिंह,शासन की ओर से अधिवक्ता तैनात है,ने अपनी राय में यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि पर किसी भी निर्माण की अनुमति देना मा0 न्यायालय के आदेशों की _ _ अवहेलना होगी। इस भूमि पर मानचित्र स्वीकृत करना उचित न होगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में जब कि विकास प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधियों के अध्याय-2 भाग-1 में विकास अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र के प्रस्तर-5(1) एंव 2(1) में आवेदक के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों का उल्लेख किया गया है साथ ही इसी अध्याय के अनुच्छेद 5(5)(1)में विवरण अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व का सत्यापित प्रमाण पत्र,विक्रय पत्र या पट्टे की सत्यापित प्रति,या खतौनी अभिलेख सहित नजरा प्लान की सत्यापित प्रतिलिपि या प्राधिकरण द्वारा मान्य कोई अभिलेख प्राविधानित है और यदि उसी के अनुसार आवेदक दस्तावेज प्रस्तुत करता है,तो उस पर मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है,किन्तु इन विषम परिस्थितियों में जब आवेदक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करता है तो भी स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। क्योकि मा0 न्यायालय का आदेश दिनाँक 4-5-92 बाधक है और विधिक राय में मानचित्र स्वीकृत न किए जाने का उल्लेख है।अतः उचित होगा कि इन विवादित खसरा नम्बरों में कोई भी मानचित्र स्वीकृत न किए जॉय,ताकि सरकार का पक्ष किसी भी रूप में कमजोर न हो सके और प्राधिकरण शासकीय भूमि की सुरक्षा में बाधक न हो।

प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Secretary

मद संख्या- 5

विषय- विल्केश्वर मन्दिर से गौरी कुण्ड तक सी0सी0 सडक में हुए विचलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

यह मार्ग पहाड की तलहटी में होने के कारण वर्षा के पानी से क्षतिग्रस्त होता था। आवश्यकतानुसार इस मार्ग को पक्का किए जाने हेतु रूपये,48,989-84 का आगणन बनाया गया तथा कार्य की निविदा आमन्त्रित कर रूपये, 45,070-65 स्वीकृत किया गया।कार्य के दौरान पहाड की ओर से आने वाले पानी के कारण सडक कटान को रोकने हेतु तकनीकी दृष्टि से यह निर्णय लिया गया कि एक 9 ईंच गहरी तथा 2 ईंच ऊँची ठोकर/वॉडर पहाड की ओर के किनारे पर बनाया जाय ताकि पानी सडक के उपर होकर जाय और सडक के नीचे कटान न हो सके।

ठोकर के निर्माण के कारण कार्य में हुई बढोतरी,कार्य की स्वीकृत धनराशि रूपये 45,070-65 में विचलन पश्चात कार्य की कुल लागत रूपया63,194-00 हुई जो कि स्वीकृत धनाँक के सापेक्ष 40.21% उच्च है। यह निर्धारित मानक 10% से अधिक है। कार्य की आवश्यकता एंव यात्रियों की कठिनाई को देखते हुए कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्य पूर्ण किए हुए लगभग 2 वर्ष से अधिक हो चुका है,कार्य अभी भी सन्तोषजनक है। अतः प्रस्ताव है कि विचलन रूपया 18,123-98 की स्वीकृति एंव ठेकेदार का अन्तिम भुगतान किए जाने का प्रस्ताव विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Secretary
H.D.A

मद संख्या- 6

<u>विषय-</u> <u>लायन्स क्लब गोविन्दपुरी हरिद्वार द्वारा नेत्र चिकित्सालय का मानचित्र संख्या-167/94 में विकास शुल्क में छूट के सम्बन्ध में।</u>

दिनाँक 10-8-94 को लायन्स क्लब रानीपुर हरिद्वार द्वारा गोविन्दपुरी हरिद्वार में नेत्र चिकित्सालय बनाने का एक मानचित्र स्वीकृति हेतु जमा किया है। क्लब को विकास शुल्क रुपया 45,340-00 जमा किए जाने हेतु सूचित किया गया। दिए गये समय के अन्दर विकास शुल्क जमा न कराने के कारण मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया है।

क्लब द्वारा पुनः अपने पत्र द्वारा यह अनुरोध किया है कि यह एक धार्मिक चिकित्सालय है, जिसमें रोगियों की निःशुल्क सेवा की जायेगी। अतः मानचित्र पर विकास शुल्क माफ कर दिया जाय। जिस स्थल पर चिकित्सालय बनाना प्रस्तावित है वह स्थल पूर्ण रूप से विकसित है। चूँकि तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा विकास शुल्क आरोपित किया गया और जमा न करने के कारण मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया था।

अतः प्रश्नगत मानचित्र में विकास शुल्क में छूट दिए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Secretary
H. D. A.

मद संख्या- 7

विषय- दिल्ली हरिद्वार बाई पास समीप यादव धर्मशाला के खसरा नम्बर 185 से 190 तथा ज्वालापुर हरिद्वार रोड समीप सरप्राइज होटल, खसरा नम्बर 689,694,695 के भू-उपयोग के सम्बन्ध में।

श्री पारस कुमार जैन के उपर्युक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनॉक 14-12-95 के क्रम में अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा यह प्रकरण प्राधिकरण बैठक में रखने हेतु निर्देशित किया है। तद्नुसार प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं। संक्षेप में तथ्य निम्नवत् है।

प्राधिकरण की विभिन्न बैठकों§दिनॉक 10-8-90 अग्रोत्तर§ में यह बिन्दु विचारणीय रहा है कि कुम्भ मेला हेतु महायोजना में समुचित भूमि दर्शायी जाय,ऐसे भूखण्ड जो कि पूर्व में मेलों में पार्किंग हेतु प्रयुक्त किए गये थे,को कुम्भ मेला हेतु ही रखा जाय,जबकि महायोजना प्रारूप में कुछ ऐसे भूखण्डों§जिसमें विचाराधीन भूखण्ड भी शामिल हैं§को आवासीय भू-उपयोग हेतु रखा गया था। अतः यह सम्भावना व्यक्त की गयी कि आगामी कुम्भ मेला व्यवस्था में कठिनाई सम्भावित है। इस विषय में प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 20-4-91 में सहयुक्त नियोजक मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि इनके स्थान पर वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था मास्टर प्लान में की गयी है।

इसी अवधि में जनवरी,1992 में शासन द्वारा महायोजना अनुमोदित की गयी और वह लागू हो गयी। जिसमें दोनों विचाराधीन स्थल आवासीय दर्शाये गये हैं। इसी क्रम में यह विषय प्राधिकरण की आगामी बैठकों में भी विचाराधीन रहा है। प्राधिकरण की बैठक दिनॉक 1-5-93 ~~की बैठक~~ में यह विषय मेलों की स्थायी व्यवस्था हेतु योजना तैयार करने सम्बन्धी मद में सम्मिलित हो गया है। उक्त बैठक में जो निर्णय हुआ वह इस प्रकार है-"

"अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि उनकी अध्यक्षता में दिनॉक 30-4-93 को सम्बन्धित विभागों की बैठके की गयी है। उक्त बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में यह प्रकरण प्राधिकरण स्तर से स्थगित रखा जाय"तभी से यह प्रकरण स्थगित है।

यह सत्य है कि श्री जैन के खसरा नम्बर महायोजना में आवासीय हैं परन्तु उपरोक्त भूमि के भू-उपयोग मेला विकल्प में निहित हो जाने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। यदि श्री जैन की उपर्युक्त भूमियों का भू-उपयोग परिवर्तन ,मेला विकल्प से निकाल दिया जाय तो इसका भू-उपयोग महायोजना में दर्शाये गये भू-उपयोग §आवासीय§ के अनुसार सम्भव हो पायेगा।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

Secretary
H.D.A

मद संख्या-7 दिल्ली हरिद्वार बाई पास के समीप यादव धर्मशाला के खसरा नम्बर 185 से 190 तक तथा ज्वालापुर हरिद्वार रोड पर तरप्राइज होटल के पास खसरा नं0 689,694 एवं 695 के भू-उपयोग के संबंध में।

प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक समिति जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित की जाय, जिसमें उपाध्यक्ष,ह0वि0प्रा0/सहयुक्त नियोजक, मेरठ/ अध्यक्ष,नगरपालिका परिषद हरिद्वार/अध्यक्ष, जिला परिषद हरिद्वार/श्री ब्रह्मचारी जी, जयराम आश्रम हरिद्वार/अध्यक्ष, श्री गंगासभा हरिद्वार एवं महन्त श्री शंकर भारती, सचिव, निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार सदस्य होंगे। उक्त समिति संदर्भित खसरा नम्बरों के भू-उपयोग के संबंध में अपना निष्पक्ष निर्णय लेगी तत्पश्चात प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद हरिद्वार ने अपनी आपत्ति पत्र संख्या-1661/एस0टी0/95 दिनांक 26.2.96 अध्यक्ष महोदय को बैठक में प्रस्तुत किया। निर्णय लिया गया कि इस पत्र को पत्रावली का भाग बना लिया जाय तथा उक्त समिति इस पत्र पर भी विचार करें।

मद संख्या-8 अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

उपाध्यक्ष प्राधिकरण ने अवगत कराया कि प्राधिकरण में चल रही दो योजनायें-शिवलोक एवं हरिलोक पूर्ण होने की स्थिति में हैं, अतः नयी योजना प्रारम्भ करने के लिये भूमि लेने के लिये प्रयास किये गये हैं। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग पर शांतिकुंज के सामने भूमि विक्रय हेतु उपलब्ध है, जिसमें आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही शासनादेश के अनुरूप की जा रही है। सदस्यों ने राय व्यक्त की कि शांतिकुंज के सामने की भूमि नयी योजना हेतु अत्यंत उपयोगी रहेगी, अतः इसपर शासनादेश के अनुसार अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनार्थ शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में सभी सदस्यों को अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(योगेन्द्र कुमार बहल)
सचिव

(सुधाकर सिंह)
उपाध्यक्ष

(एच0एल0 बिरदी)
अध्यक्ष/आयुक्त

243

S.N.	HEAD	93–94 ACTUAL	94–95 ACTUAL	95–96 PROP.	95–96 ACTUAL (31–1–96)	96–97 PROP.	REMARK
	REVENUE INCOME						
1	STAMP DUTY	12.02	0.00	20.00	0.00	20.00	
2	INTREST A/C	12.07	9.23	25.00	26.33	35.00	
3	MAP/SUB.DIV. FEES	0.95	1.16	1.25	1.11	1.30	
4	COMPOUNDING FEES	20.07	23.16	20.00	23.56	20.00	
5	BOOKS SALE	1.02	0.78	1.00	0.22	1.00	
6	SUPERVISION CHARGE	28.42	13.82	6.00	6.35	1.00	The past yojna head has been included in the capital income head.
7	GRANT FOR DEVELOPEMENT	8.32	0.00	20.00	0.00	18.00	Expected grant of devl.for S.kund,S.park,M.retiranbasera.
8	MISC.(LIC/TEN FEE/TRANS/LEASE)	2.44	2.33	6.00	0.90	1.00	
9	DEVELOPEMENT CHARGES	21.31	25.78	30.00	30.13	35.00	
	TOTAL REVENUE INCOME:–	106.62	76.26	129.25	88.60	132.30	
	CAPITAL INCOME						
1	RISHILOK YOJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2	SHIVLOK–1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
3	SHIVLOK–2 YOJANA	77.01	29.14	17.00	10.65	20.00	
4	SHIVLOK–3 YOJANA	76.40	63.73	15.00	2.98	30.00	
5	HARILOK YOJANA	177.68	64.42	52.00	52.25	55.00	
6	T.H.D.C. YOJANA	22.28	5.00	0.00	0.00	0.00	
7	LOAN FROM HUDCO & OTHERS	0.00	0.00	200.00	25.00	200.00	Loan for land acquisition/devel/const.for new project.
8	REALISATION OF INSTALMENTS '{ADV TO EMPL FOR HOUSE/PLOT ETC}	0.00	0.38	1.00	1.03	1.00	
9	OTHER RECIEPTS	20.22	0.00	15.00	0.00	20.00	Expected income from registration of new scheme.
	TOTAL REVENUE INCOME:–	373.59	162.67	300.00	91.91	343.00	
	GRAND TOTAL INCOME:–	480.21	238.93	429.25	180.51	475.30	

S.N.	HEAD	93-94 ACTUAL	94-95 ACTUAL	95-96 PROP.	95-96 ACTUAL (31-1-96)	96-97 PROP.	REMARK
	REVENUE EXPENDITURE						
	{A}ESTABLISHMENT						
1	EMPLOYEES SALARY/ALLOWANCES	16.57	21.32	26.00	21.10	30.00	Increase prop.due to inclusion of leav encashment head under .
2	TRAVELING ALLOWANCE	0.60	1.05	1.10	0.64	1.25	this head & increase in salary and D.A.etc.
3	DAILY WAGES	0.39	0.35	1.00	0.32	0.50	
4	LEAVE SALARY/PENSION CONTRIBUT.	0.00	0.01	0.75	0.51	0.75	
	TOTAL	17.56	22.73	28.85	22.57	32.50	
	{B}OFFICE MISC.EXPENDITURE						
1	POSTAGE STAMP	0.10	0.09	0.15	0.08	0.15	
2	STATIONARY	0.58	0.45	0.75	0.23	0.75	
3	OFFICE BUILDING MAINTENANCE	1.29	0.39	1.00	0.27	1.00	
4	TELEPHONE	1.33	2.53	3.00	1.11	3.00	
5	BOOKS/LIBRARY	0.05	0.04	0.10	0.02	0.05	
6	LEGAL EXPENDITURE	1.50	1.46	2.00	1.33	2.00	
7	HOSPITALITY EXP.	0.15	0.23	0.30	0.07	0.30	
8	PRINTING EXP.	0.00	0.25	0.75	0.08	0.50	
9	ADVERTISEMENT	1.43	0.48	0.75	0.65	1.00	
10	AUDIT FEES	1.25	1.00	2.00	0.06	2.00	
11	MISCELLANEUS	2.87	0.24	1.00	2.48	1.00	
12	EMPLOYEES WELFARE	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	
13	MACHINERY MAINTENANCE	0.40	0.02	0.50	0.11	0.50	
14	ELECTRICITY MAINTENANCE	0.59	0.14	0.50	0.01	0.50	
15	VIVEKADHEEN EXP.	0.00	0.00	0.10	0.05	0.10	
	TOTAL	11.54	7.32	12.95	6.55	12.90	
	{C}VEHICLE MAINTENANCE						
1	MAINTENANCE	0.57	0.23	1.00	0.79	1.00	
2	PETROL/DIESEL	1.21	1.20	1.50	1.11	1.75	
	TOTAL	1.78	1.43	2.50	1.90	2.75	
	{D}EMPLOYEES ADVANCE						
1	VEHICLE	0.15	0.23	0.50	0.48	0.50	
2	HOUSE/PLOT	0.17	2.64	7.00	1.46	3.00	
	TOTAL	0.32	2.87	7.50	1.94	3.50	
	{E}MASTERPLAN SURVEY/CONSULTANC	1.20	0.00	3.30	0.00	1.00	
	{F}DEVELOPMENT EXP.	37.73	7.03	30.00	10.58	30.00	
	{G}BOOK PRINTING	0.00	0.00	5.18	7.77	0.00	
	{H}TRAFFIC PLANNING	0.75	0.00	3.25	0.00	3.25	
	{I}SEED CAPITAL/HUDCO LOAN	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	60.59	7.03	41.73	18.35	34.25	
	EXPENDITURE	91.79	41.38	93.53	51.31	85.90	

S.N.	HEAD	93–94 ACTUAL	94–95 ACTUAL	95–96 PROP.	95–96 ACTUAL (31–1–96)	96–97 PROP.	REMARK
	CAPITAL EXPENDITURE:–						
1	CAR/JEEP/INSTRUMENT/HOUSE	1.94	1.68	3.00	3.31	0.50	
2	FURNITURES/FICTURES	0.88	0.41	0.50	0.34	0.50	
3	STORE(CEMENT)	16.98	11.19	15.00	13.77	18.00	
	TOTAL	19.80	13.28	18.50	17.42	19.00	
(A)	YOJANA LAND PURCHASE:–						
1	SHAVLOK–2 & 3	44.07	19.11	6.00	9.04	0.00	
2	HARILOK YOJANA	60.22	5.91	0.00	0.00	0.00	
3	OTHER YOJANA	0.00	0.00	20.00	0.00	125.00	
	TOTAL	104.29	25.02	26.00	9.04	125.00	
(B)	YOJANA DEVELOPMENT/CONS.WORK:–						
1	PAST YOJANA(RISHILOK/SHIVOLK	0.00	0.00	1.50	0.00	0.20	
2	SHIVOLK –2	0.00	4.92	4.00	3.60	5.00	
3	SHIVLOK–3	0.00	0.03	20.00	5.80	20.00	
4	OTHER WORKS	6.46	0.00	0.00	0.00	50.00	
5	HARILOK YOJANA	36.83	21.02	80.00	30.36	100.00	
6	T.H.D.C.PUNARWAS YOJANA	17.76	1.07	20.00	3.58	5.00	
7	REFUND FOR LOANS	66.08	24.49	83.00	82.22	13.00	
8	REFUND INTEREST FOR LOANS	0.00	20.82	20.00	12.92	35.00	Increase due to expected loan of hudco & others agency.
	TOTAL	127.13	72.35	228.50	138.48	228.20	
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE:–	251.22	110.65	273.00	164.94	372.20	
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE:–	91.79	41.38	93.53	51.31	85.90	
	GRAND TOTAL EXPENDITURE:–	343.01	152.03	366.53	216.25	458.10	

S.N.	HEAD	93-94 ACTUAL	94-95 ACTUAL	95-96 PROP.	95-96 ACTUAL (31-1-96)	96-97 PROP.	REMARK
	REVENUE INCOME						
1	STAMP DUTY	12.02	0.00	20.00	0.00	20.00	
2	INTREST A/C	12.07	9.23	25.00	26.33	35.00	
3	MAP/SUB.DIV. FEES	0.95	1.16	1.25	1.11	1.30	
4	COMPOUNDING FEES	20.07	23.16	20.00	23.56	20.00	
5	BOOKS SALE	1.02	0.78	1.00	0.22	1.00	
6	SUPERVISION CHARGE	28.42	13.82	6.00	6.35	1.00	The past yojna head has been included in the capital income head.
7	GRANT FOR DEVELOPEMENT	8.32	0.00	20.00	0.00	18.00	Expected grant of devl.for S.kund,S.park,M.reti ranbasera.
8	MISC.(LIC/TEN FEE/TRANS/LEASE)	2.44	2.33	6.00	0.90	1.00	
9	DEVELOPEMENT CHARGES	21.31	25.78	30.00	30.13	35.00	
	TOTAL REVENUE INCOME:-	106.62	76.26	129.25	88.60	132.30	
	CAPITAL INCOME						
1	RISHILOK YOJNA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2	SHIVLOK-1	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
3	SHIVLOK-2 YOJANA	77.01	29.14	17.00	10.65	20.00	
4	SHIVLOK-3 YOJANA	76.40	63.73	15.00	2.98	30.00	
5	HARILOK YOJANA	177.68	64.42	52.00	52.25	55.00	
6	T.H.D.C. YOJANA	22.28	5.00	0.00	0.00	0.00	
7	LOAN FROM HUDCO & OTHERS	0.00	0.00	200.00	25.00	200.00	Loan for land acquisition/devel./const.for new project.
8	REALISATION OF INSTALMENTS '{ADV TO EMPL FOR HOUSE/PLOT ETC}	0.00	0.38	1.00	1.03	1.00	
9	OTHER RECIEPTS	20.22	0.00	15.00	0.00	20.00	Expected income from registration of new scheme.
	TOTAL REVENUE INCOME:-	373.59	162.67	300.00	91.91	343.00	
	GRAND TOTAL INCOME:-	480.21	238.93	429.25	180.51	475.30	

S.N.	HEAD	93–94 ACTUAL	94–95 ACTUAL	95–96 PROP.	95–96 ACTUAL (31–1–96)	96–97 PROP.	REMARK
	REVENUE EXPENDITURE						
	(A)ESTABLISHMENT						
1	EMPLOYEES SALARY/ALLOWANCES	16.57	21.32	26.00	21.10	30.00	Increase prop.due to inclusion of leav encashment head under
2	TRAVELING ALLOWANCE	0.60	1.05	1.10	0.64	1.25	this head & increase in salary and D.A.etc.
3	DAILY WAGES	0.39	0.35	1.00	0.32	0.50	
4	LEAVE SALARY/PENSION CONTRIBUT.	0.00	0.01	0.75	0.51	0.75	
	TOTAL	17.56	22.73	28.85	22.57	32.50	
	(B)OFFICE MISC.EXPENDITURE						
1	POSTAGE STAMP	0.10	0.09	0.15	0.08	0.15	
2	STATIONARY	0.58	0.45	0.75	0.23	0.75	
3	OFFICE BUILDING MAINTENANCE	1.29	0.39	1.00	0.27	1.00	
4	TELEPHONE	1.33	2.53	3.00	1.11	3.00	
5	BOOKS/LIBRARY	0.05	0.04	0.10	0.02	0.05	
6	LEGAL EXPENDITURE	1.50	1.46	2.00	1.33	2.00	
7	HOSPITALITY EXP.	0.15	0.23	0.30	0.07	0.30	
8	PRINTING EXP.	0.00	0.25	0.75	0.08	0.50	
9	ADVERTISEMENT	1.43	0.48	0.75	0.65	1.00	
10	AUDIT FEES	1.25	1.00	2.00	0.06	2.00	
11	MISCELLANEUS	2.87	0.24	1.00	2.48	1.00	
12	EMPLOYEES WELFARE	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	
13	MACHINERY MAINTENANCE	0.40	0.02	0.50	0.11	0.50	
14	ELECTRICITY MAINTENANCE	0.59	0.14	0.50	0.01	0.50	
15	VIVEKADHEEN EXP.	0.00	0.00	0.10	0.05	0.10	
	TOTAL	11.54	7.32	12.95	6.55	12.90	
	(C)VEHICLE MAINTENANCE						
1	MAINTENANCE	0.57	0.23	1.00	0.79	1.00	
2	PETROL/DIESEL	1.21	1.20	1.50	1.11	1.75	
	TOTAL	1.78	1.43	2.50	1.90	2.75	
	(D)EMPLOYEES ADVANCE						
1	VEHICLE	0.15	0.23	0.50	0.48	0.50	
2	HOUSE/PLOT	0.17	2.64	7.00	1.46	3.00	
	TOTAL	0.32	2.87	7.50	1.94	3.50	
	(E)MASTERPLAN SURVEY/CONSULTANC	1.20	0.00	3.30	0.00	1.00	
	(F)DEVELOPMENT EXP.	37.73	7.03	30.00	10.58	30.00	
	(G)BOOK PRINTING	0.00	0.00	5.18	7.77	0.00	
	(H)TRAFFIC PLANNING	0.75	0.00	3.25	0.00	3.25	
	(I)SEED CAPITAL/HUDCO LOAN	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	60.59	7.03	41.73	18.35	34.25	
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE:-	91.79	41.38	93.53	51.31	85.90	

S.N.	HEAD	93–94 ACTUAL	94–95 ACTUAL	95–96 PROP.	95–96 ACTUAL (31–1–96)	96–97 PROP.	REMARK
	CAPITAL EXPENDITURE:–						
1	CAR/JEEP/INSTRUMENT/HOUSE	1.94	1.68	3.00	3.31	0.50	
2	FURNITURES/FICTURES	0.88	0.41	0.50	0.34	0.50	
3	STORE(CEMENT)	16.98	11.19	15.00	13.77	18.00	
	TOTAL	19.80	13.28	18.50	17.42	19.00	
(A)	YOJANA LAND PURCHASE:–						
1	SHAVLOK–2 & 3	44.07	19.11	6.00	9.04	0.00	
2	HARILOK YOJANA	60.22	5.91	0.00	0.00	0.00	
3	OTHER YOJANA	0.00	0.00	20.00	0.00	125.00	
	TOTAL	104.29	25.02	26.00	9.04	125.00	
(B)	YOJANA DEVELOPMENT/CONS.WORK:–						
1	PAST YOJANA(RISHILOK/SHIVOLK	0.00	0.00	1.50	0.00	0.20	
2	SHIVOLK –2	0.00	4.92	4.00	3.60	5.00	
3	SHIVLOK–3	0.00	0.03	20.00	5.80	20.00	
4	OTHER WORKS	6.46	0.00	0.00	0.00	50.00	
5	HARILOK YOJANA	36.83	21.02	80.00	30.36	100.00	
6	T.H.D.C.PUNARWAS YOJANA	17.76	1.07	20.00	3.58	5.00	
7	REFUND FOR LOANS	66.08	24.49	83.00	82.22	13.00	
8	REFUND INTEREST FOR LOANS	0.00	20.82	20.00	12.92	35.00	Increase due to expected loan of hudco & others agency.
	TOTAL	127.13	72.35	228.50	138.48	228.20	
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE:–	251.22	110.65	273.00	164.94	372.20	
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE:–	91.79	41.38	93.53	51.31	85.90	
	GRAND TOTAL EXPENDITURE:–	343.01	152.03	366.53	216.25	458.10	